(१५)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी-4481/2018/धार/भू.रा. विरूद्ध आदेश दिनांक 23.06.2018 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर प्रकरण क्रमांक 0165/अपील/2016-17.

रमेशदास पिता श्री रामदास बैरागी,
निवासी ग्राम मोरगांव तहसील सरदारपुर, जिला धार .....आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन .....अनावेदक

श्री अजय श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदक
श्री हेमंत मूंगी, शासकीय अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 5/2/19 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित दिनांक 23.06.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा तहसीलदार, सरदारपुर के प्रकरण क्रमांक 03/बी/121/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 05.05.2015 से असंतुष्ट होकर म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 44 के तहत ग्राम मोरगांव स्थित भूमि खसरा क्रमांक 142, 691, 704, 828 रकबा क्रमश: 0.376, 0.305, 1.473 एवं 1.704 कुल रकबा 3.358 हैक्टेयर के संबंध में प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, सरदारपुर, जिला धार के समक्ष प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण क्र. 29/अपील/2015-16 दर्ज कर आदेश दिनांक 30.12.2016 से अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखा गया। अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर के समक्ष प्रस्तुत की गई।

अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 23.06.2018 को आदेश पारित कर द्वितीय अपील निरस्त कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखा गया। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1)अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा संहिता की धारा 109 एवं 110 को बगैर समझे आदेश पारित करने में गंभीर वैधानिक त्रुटि की है, जबकि संहिता की धारा 109, 110 में स्पष्ट प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भूमि में कोई अधिकार या हित विधिपूर्वक अर्जित किया जाता हैं, तो उसकी सूचना उसे पटवारी को मौखिक या लिखित रूप में की जानी होती है एवं उक्त सूचना के आधार पर पटवारी प्रारंभिक कार्यवाही की जाकर अग्रिम कार्यवाही हेतु तहसील न्यायालय को प्रेषित करनी होती है एवं सदर प्रकरण में भी आवेदक द्वारा व्यवहार न्यायालय से उसके पक्ष में पारित निर्णय/डिक्री की जानकारी संबंधित पटवारी को दी जाकर राजस्व अभिलेखों में उसका विधिवत नाम दर्ज हुआ था, जिसे निरस्त किये जाने में अधीनस्थ न्यायालयों ने विधि विरूद्ध आदेश पारित किये हैं, जो निरस्त किये जाने योग्य हैं।

(2)अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना संहिता की धारा 115-116 के नियमों व प्रावधानों को समझे, बिना किसी विधिक आधार के आदेश पारित करने में गंभीर वैधानिक त्रुटि की है, जबकि संहिता की धारा 115 शुद्धिकरण एवं संहिता की धारा 116 विवाद से संबंधित है, जबकि सदर प्रकरण में व्यवहार न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अनुसार प्रश्नाधीन भूमि के राजस्व अभिलेखों में आवेदक का नाम दर्ज हुआ था, जिसमें हस्तक्षेप किये जाने का तहसील न्यायालय का कोई विधिक अधिकार नहीं होते हुए भी तहसील न्यायालय द्वारा अधिकारिता रहित अवैध आदेश पारित किया था, जिसे यथावत् रखे जाने में दोनों अधीनस्थ न्यायालयोंने विधि की गंभीर त्रुटि की है, जिससे अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

(3)अधीनस्थ न्यायालयों ने प्रश्नाधीन भूमियों एवं उक्त भूमि पर बने श्रीराम मंदिर को व्यवहार न्यायालयों द्वारा आवेदक के स्वत्व एवं निजी मंदिर घोषित करने के बाद भी प्रश्नाधीन भूमियों के राजस्व अभिलेखों से आवेदक का नाम कम कर पुन: वर्ष 1974 की पूर्व स्थिति

अनुसार व्यवस्थापक कलेक्टर, जिला धार का नाम दर्ज करने बाबद पारित आदेश व्यवहार न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों की अवहेलना स्वरूप होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्त किये जाने योग्य है। चूंकि विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि व्यवहार न्यायालय द्वारा पारित निर्णय राजस्व न्यायालयपर आबद्धकार होते हैं, जिससे भी अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य हैं। इस संबंध में 2016 आर.एन. 350 का न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किया गया है।

(4)अधीनस्थ न्यायालयों ने इस वैधानिक बिन्दुपर कोई विचार नहीं किया कि प्रश्नाधीन भूमियों पर आवेदक व उसके वडिल का स्वत्व व्यवहार न्यायालय द्वारा घोषित करने के बाद राजस्व न्यायालयों को प्रश्नाधीन भूमियों के संबंध में आवेदक के राजस्व अभिलेखों में दर्ज नाम के विरूद्ध कोई कार्यवाही करने की अधिकारिता ही नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश अधिकारिता रहित होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अत: उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदक के विद्वान शासकीय अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त द्वारा विधिसंगत आदेश पारित किया गया है, जो कि स्थिर रखे जाने योग्य है। तर्क में यह भी कहा गया कि अपर आयुक्त, अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार के समवर्ती निष्कर्ष हैं, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है। अत: उनके द्वारा निगरानी निरस्त करते हुए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखने का अनुरोध किया गया।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट है कि संहिता की धारा 155, 116 में तहसीलदार द्वारा राजस्व अभिलेखों में त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि को सुधार कर राजस्व अभिलेख को अद्यतन रखे जाने उचित एवं वैधानिक आदेश पारित किया गया है, जिसकी पुष्टि अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा भी की गई है। इस प्रकार तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हस्तक्षेप योग्य नहीं हैं। इस संबंध में इस संबंध में 2012 आर.एन. 438 तुलसीदास विरूद्ध सालिगराम में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है :-

"धारा 50 - तीनों निचले न्यायालयों के एक ही निष्कर्ष - पुनरीक्षण में हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं।"

इसी प्रकार 1982 आर.एन. 36 रामाधार विरूद्ध आनंद स्वरूप तथा अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है:-

"धारा 50-समवर्ती निष्कर्ष-अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में कोई अवैधता या अनियमितता नहीं-पुनरीक्षण में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।"

उपरोक्त न्यायिक सिद्धांत के प्रकाश में अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश नीतिगत एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.06.2018 स्थिर रखा जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर